

# समाहरणालय, कटिहार

(जिला प्रोग्राम कार्यालय)

## संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

महिला विकास निगम, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1105, दिनांक 10.10.2013 के साथ संलग्न संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में कटिहार जिला में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम बिहार, पटना (समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार) के सहयोग से तथा जिला प्रशासन, कटिहार के नियंत्रणाधीन महिला हेल्प लाईन के संचालन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियोजन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटो एवं वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (स्व-अभिप्रमाणित) के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सभी आवेदन पत्र महिला हेल्प लाईन, कटिहार के कार्यालय, विकास भवन, कमरा नं०-03 में निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। जिला पदाधिकारी, कटिहार की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध चयन किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा साक्षात्कार हेतु सभी संबंधित मूल शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति दो प्रतियों में देना अनिवार्य होगा।

1. लिफाफे के ऊपर महिला हेल्पलाईन लिखा जाना अनिवार्य होगा।
2. बायोडाटा के साथ Email.ID एवं मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा।
3. बायोडाटा में आवेदित पद का नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
4. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.01.18 को अपराह्न 05:00 बजे तक होगी।
6. आवेदन पत्र के साथ स्व-पता लिखा लिफाफा(निबंधित डाक टिकट सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त की सं०	अहर्ता	मानदेय
1	2	3	4	5
1.	परामर्शी (एक पद महिला हेतु आरक्षित )	02 (सामान्य-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01)	<b>शैक्षणिक योग्यता :-</b> किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान के साथ प्रतिष्ठा। <b>अनुभव :-</b> महिलाओं से संबंधित विषयों/समस्याओं पर सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों में न्यूनतम 03 वर्षों का कार्यानुभव <b>उम्र सीमा :-</b> अधिकतम 40 वर्ष तक	12,600 /- प्रतिमाह
2.	अधिवक्ता पैनल (अंशकालीन) यथा संभव महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी	02	<b>शैक्षणिक योग्यता :-</b> विधि स्नातक। <b>अनुभव :</b> अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम तीन वर्षों का कार्यानुभव। महिला संबंधित विषयों,समस्याओं एवं अधिनियमों का समुचित ज्ञान।	2,000 /- प्रतिमाह

आपका नियोजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

1. यह नियोजन संविदा के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए की जायेगी।
2. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः अनुबंध किया जा सकेगा।
3. आपके द्वारा सरकारी कर्मियों के समकक्ष अन्य सुविधा का दावा नहीं किया जायेगा।
4. आपके द्वारा सरकारी कर्मी होने का दावा नहीं किया जायेगा।
5. महिला विकास निगम, बिहार के द्वारा समय-समय जारी किये गये आदेशों/निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. आपके नियोजन का विस्तार तभी तक किया जा सकेगा, जबतक महिला विकास निगम, बिहार के द्वारा परियोजना का संचालन किया जाता रहेगा।

जिला पदाधिकारी,  
कटिहार।

SIZE-20X2=200 SQ CM  
DOP-06.01.2018  
RO NO-11885 DT-05.01.2018  
DAINIK JAGRAN, PATNA+BHAG  
HINDUSTAN, BHAG